

राजस्थान सरकार

## उपभोक्ता मामले विभाग

एफ 89(22) उ.मा.वि./उ.स./2021-III


जयपुर, दिनांक: 09-03-2022

### संशोधित अधिसूचना

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19.02.2022 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा-28 उप धारा (2) खण्ड (ख) के अनुसरण में और उपभोक्ता संरक्षण नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 06 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा चयन समिति की अभिशंषा के आधार पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (जिला आयोग) में पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किये गये थे।

उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 1 पर अंकित अलवर जिला आयोग में महिला सदस्य के रूप में नियुक्त श्रीमती सरोज शर्मा के नाम में "श्रीमती सरोज शर्मा पुत्री श्री राजेश शर्मा" के स्थान पर "श्रीमती सरोज शर्मा पत्नि श्री राजेश शर्मा" पढ़ा जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से

  
(नवीन जैन)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर / जोधपुर।
- अध्यक्ष, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
- समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
- महालेखापरीक्षक, (महालेखाकार), राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
- निजी सचिव, शासन सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
- निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
- पंजीयक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
- अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, समस्त, राजस्थान।
- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग, जयपुर।
- समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
- समस्त जिला कलक्टर/जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
- प्रोग्रामर, खाद्य विभाग/उपभोक्ता मामले विभाग को राजस्थान के गजट में आज ही प्रकाशित करवाने के लिए।
- सम्बंधित श्रीमती सरोज शर्मा पत्नि श्री राजेश शर्मा, सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अलवर।
- रक्षित पत्रावली।

  
निदेशक  
उपभोक्ता मामले